(वाद सं0–425/4/38/2020)

17.11.2021

परिवादी, गौतम चौरसिया, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, योजना एवं विकास विभागन्तर्गत बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुनर्निमाण सोसाइटी, पटना के सुपौल जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डो एवं पंचायतो में कार्यरत कर्मियों के लंबित मानदेय के भुगतान से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, सुपौल से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ ग्रामीण विकास पदाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर के प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदनानुसार ‘‘बिहार आपदा पुनर्वासा एवं पुनर्निमाण सोसाईटी पटना के पत्रांक–942, दिनांक–20.08.2013 द्वारा परियोजना कार्य हेतु प्रखण्ड को कर्मी तथा भुगतान आदेश उपलब्ध कराया गया था। सचिव योजना एवं विकास विभाग–सह–परियोजना निदेशक बि0आ0पु0पु0सो0, बिहार, पटना के पत्रांक–515/2018, दिनांक–01.10.2018 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक–30.06.2018 तक गृह एवं शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके लाभार्थियों का QMR निर्माण स्केनिंग एवं अवशेष लंबित भुगतान 31.10.2018 तक शत–प्रतिशत संबंधित कर्मियों से पूर्ण कराने हेतु निदेश प्राप्त हुआ। जिसके आलोक में उक्त कार्य जिला परियोजना प्रबंधक के निगरानी में माह जनवरी 2019 तक कराया गया था।

पुनः परियोजना निदेशक के पत्रांक–604, दिनांक–22.11.2018 के निदेशानुसार परियोजना के खातों से लेन–देन को फ्रिज कर दिया गया तथा उनके पत्रांक–20, दिनांक–22.01.2019 द्वारा परियोजना के लेखापाल को परियोजना के खाते का संधारण का अवशेष राशि जिला कार्यालय में परियोजना के संधारित खाता में हस्तांतरित करने का निदेश प्राप्त हुआ जिसके आलोक में कार्यालय पत्रांक–155, दिनांक–25.01.2019 द्वारा इसकी सूचना दी गयी। कर्मियों के मानदेय का लंबित शत–प्रतिशत कार्यो के निष्पादन के उपरांत ही माह सितम्बर 2018 तक किया गया तथा खाता फ्रिज हो जाने के कारण माह अक्टूबर 2018 का भुगतान जिला

कार्यालय से माह जनवरी 2019 में किया गया। कार्य समाप्ति के उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक–152, दिनांक–11.01.2019 द्वारा कोशी पुर्नवास अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान एवं सेवा वापस के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी।

कोशी पुर्नवास अन्तर्गत सभी कार्य (दस्तावेजीकरण) एवं स्कैनिंग का कार्य माह जनवरी 2019 तक एवं खातों का संधारण मार्च 2019 तक तथा कार्यालय द्वारा प्रभार का हस्तांरण दिनांक– 31.07.2019 को किया गया।''

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के निर्देश के आलोक में किये गये तत्संबंधी कार्यों का पारिश्रमिक का भुगतान अब तक नहीं किया गया है जिससे सभी कर्मियों में असंतोष व्याप्त है।

ग्रामीण विकास पदाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर के प्रतिवेदन तथा परिवादी के कथन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी सहित अन्य कर्मियों द्वारा किये गये कार्यों का मानदेय/पारिश्रमिक का अब तक भुगतान नहीं किये जाने से इन सभी को असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। किसी भी कर्मियों द्वारा किये गये कार्यों का पारिश्रमिक/मानेदय पाना उसका मानवाधिकार है। **जिला पदाधिकारी, सुपौल से अनुरोध है कि परिवादी सहित अन्य कर्मियों द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान के संबंध में आठ सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई किया जाय तथा उक्त कार्रवाई से परिवादी को अवगत करा दी जाय।**

उक्त के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक